

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन

राजकीय आईटीआई परिसर अलीगंज, लखनऊ
संख्या: 904 / कौविमि / 2021-22 / टीपीपी
दिनांक : 28 जुलाई, 2021

सेवा में,

समस्त प्रशिक्षण प्रदाता (निजी, फ्लेक्सी, राजकीय)
अनुबंधित,
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन।

विषय: दिनांक 01.08.2021 से प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पुनर्संचालन के सम्बन्ध में।
महोदय,

प्रदेश के युवाओं को रोजगारपरक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें सेवायोज्य बनाने तथा रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से संचालित की जाने वाली विभिन्न कौशल प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत दिनांक 01.08.2021 से पुनः प्रशिक्षण प्रारंभ करने हेतु प्राप्त अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं:-

1. योजनान्तर्गत प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों द्वारा कोविड प्रतिरोधी टीका लगवाया जायेगा।
2. छात्रावास एवं कक्षाओं में कोविड प्रोटोकाल सम्बन्धी गाइडलाइन्स का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. उक्त निर्दिष्ट तिथि से मात्र उन्हीं प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा प्रशिक्षण दिया जा सकेगा, जिनके द्वारा प्रशिक्षण केन्द्रों में आधार बेस्ड बायोमैट्रिक उपस्थिति के अंकन के सम्बन्धी समस्त व्यवस्थायें सुनिश्चित कर ली गयी है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 240 / कौविमि / 2018-19 / IT-MIS / AEBAS / 1076 दिनांक 27.05.2021 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या: 431 / कौविमि / 2018-19 / IT-MIS / AEBAS / 1076 दिनांक 18.06.2021 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन करते हुए स्थगित एवं नवीन प्रशिक्षण सत्रों का संचालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय
28/7/21
(कुणाल सिल्कू)
मिशन निदेशक
तददिनांकित।

संख्या: / कौविमि / 2020-21 / टीपीपी

प्रतिलिपि: - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिला समन्वयक, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उत्तर प्रदेश।
5. वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन।
6. समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन।
7. प्रबंधक, आईटीआई को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड फाइल।

(कुणाल सिल्कू)
मिशन निदेशक